पत्रांक –भवन / बजट–78–(गृह विभाग)–01 / 2022–23.......................... 1178 (अ)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक) बिहार,

वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक– 5/2/26

विषय– कारा विभाग की योजनाओं को कार्यान्वित किए जाने हेतु **वित्तीय वर्ष 2025–26** में कुल **₹ 68,04,696 / –.(अड़सठ लाख चार हजार छः सौ छियानवे रूपये)** मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश– स्वीकृत।

विभिन्न कार्यपालक अभियंताओं द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में कारा विभाग की योजनाओं को कार्यान्वित किए जाने हेतु निम्न विवरणीनुसार कुल **₹ 68,04,696 / –(अड़सठ लाख चार हजार छः सौ छियानवे रूपये)** मात्र का व्यय की स्वीकृति **वित्तीय वर्ष 2025–26** में प्रदान की जाती है:–

क्रमांक	प्रमंडल का नाम	अधियाचना आई०डी०	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या / दिनांक	वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1.	भवन प्रमंडल, समस्तीपुर	29329	उपकाराए दलसिहसराय मे 20 क्षमता के 01 अदद पुरूष कक्षपाल बैरक का निर्माण कार्य	8907 / 10.10.23	13,39,998 / –; (तेरह लाख उनचालिस हजार नौ सौ अंठानवे रूपये)
2	भवन प्रमंडल, दरभंगा	29280	मंडल कारा दरभंगा में 02 अदद 198 कैदी बैरक के पेरीमीटर वाल सहित का निर्माण कार्य	3050 / 31.03.22	₹27,96,506 / – (सताइस लाख छियानवे हजार पाँच सौ छः रूपये)
3	भवन प्रमंडल, शिवहर	28961	शिवहर जिलान्तर्गत जेल अधीक्षक, शिवहर के आवास का निर्माण कार्य	**11024 / 21.12. 2023**	26,68,192 / –; (छब्बीस लाख अढ़सठ हजार एक सौ बेरानवे रूपये)
				कुल राशि	**₹68,04,696 / –**

(अड़सठ लाख चार हजार छः सौ छियानवे रूपये)

2. उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या–03 के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–उपमुख्यशीर्ष–60–अन्य भवन–लघुशीर्ष–051–निर्माण–उपशीर्ष–0105–केन्द्रीय / मंडल / उपकाराओं के भवन निर्माण (गृह कारा विभाग) **विपत्र कोड–03–4059600510105** के विषय शीर्ष–53–मुख्य निर्माण कार्य–0105.53.01 मुख्य निर्माण कार्य अंतर्गत उपबंधित राशि से **वित्तीय वर्ष 2025–26** में किया जाएगा।
3. इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग होंगे।
4. इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार, से की जायेगी।
5. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
6. स्वीकृत राशि के विरूद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

5/2/26

(राजेश कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।